

//संशोधन आदेश//

भा.पाल.दिनांक। 7मई, 2010

क्रमांक एफ 1-35/07/1-38 विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19.01.2010 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

एक- ग्रंथपाल

ख- "दो रिफेशर कोर्स" के स्थान पर "एक उन्मुखीकरण एक रिफेशर कोर्स अथवा दो रिफेशर कोर्स" एवं "चार सप्ताह" के स्थान पर "तीन सप्ताह" अंकित किया जाता है।

2- ख- में यह पंक्ति और अंकित की जानी है "वह ग्रंथपाल जो वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में कार्यरत हैं यदि उनके पास पी.एच.डी. डिग्री अथवा समकक्ष प्रकाशन नहीं है किन्तु वह पैरा-2 में दिये गये अन्य मानदण्ड पूर्ण करते हैं उन्हें भी प्रवर श्रेणी वेतनमान रु0 12000-420-18300 में स्थानन किया जायेगा"।

घ- में "चार सप्ताह" के स्थान पर "तीन सप्ताह" किया जाता है।
दो- कीड़ा अधिकारी

1- घ-में "चार सप्ताह" के स्थान पर "तीन सप्ताह" अंकित किया जाता है।

2- क- में निम्नानुसार पंक्तियां और जोड़ी जाती है:-

"वह कीड़ाधिकारी जो वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में कार्यरत हैं। यदि उनके पास पी.एच.डी. उपाधि अथवा समकक्ष प्रकाशन नहीं है किन्तु वह पैरा-2 में दिये गये अन्य मापदण्ड पूर्ण करते हैं तो उन्हें भी प्रवर श्रेणी वेतनमान रु0 12000-420-18300 में स्थानन किया जायेगा।

3- "वर्तमान में प्राप्त वेतनमान में ही वेतन निर्धारण किया जावेगा। स्थानन के आदेश पूर्वानुसार शासन स्तर से प्रसारित किये जावेंगे।" को पृथक पैरा पड़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रबल सिपाही)

उप सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

24 MAY 2010

23.5.10

(14/5/10)

16

क.एफ 1-35/07/1/38,

भोपाल,दिनांक 17 मई,2010

प्रतिलिपि-

- 1- तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ एवं महालेखाकार ग्वालियर की ओर अग्रेषित।
 - 2- सचिव,भारत सरकार,मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) शास्त्री भवन,सी.विंग,नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
 - 3- आयुक्त,उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल।
 - 4- कुल सचिव,समस्त विश्वविद्यालय,मध्यप्रदेश।
 - 5- समस्त अतिरिक्त संचालक/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
 - 6- समस्त प्राचार्य,शासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,मध्यप्रदेश।
 - 7- समस्त कोषालय अधिकारी,मध्यप्रदेश।
 - 8- संचालक,स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा,मध्यप्रदेश ग्वालियर
 - 9- संयुक्त संचालक,(कोष एवं लेखा) उच्च शिक्षा भोपाल।
 - 10- प्रभारी कम्प्यूटर, की ओर प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश को वेबसाईट में प्रसारित करें।
 - 11- गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14/5/10

उप सचिव

म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग